न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 332 / 2003
आरसीएमएस नं. :– 2003 / 00044

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार / राजस्व / तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
––अपीलार्थी

बनाम

1. राजमल
2. छोटुराम } पि0 आदराम जाति जाट निवासी डोबी तहसील भादरा।
3. बिजकोरी –फौत
   3 / 1 इन्द्र सिंह पुत्र
   3 / 2 महेन्द्र सिंह पुत्र
   3 / 3 नारायणी पुत्री } बिजकौरी बेवा मेहरचंद जाति जाट निवासी डोबी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
   3 / 4 ईश्वर सिंह पुत्र –फौत
   3 / 4 / 1 रेशमी पत्नी ईश्वर माता बिजकोरी बेवा मेहरचंद जाति जाट निवीस डोबी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
   3 / 4 / 2 ओमप्रकश पुत्र ईश्वर जाति जाट निवीस डोबी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
   3 / 4 / 3 कृष्णा पुत्री ईश्वर जाति जाट निवास डोबी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
   3 / 4 / 4 सन्तोष पुत्री ईश्वर जाति जाट निवासी डोबी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंट्स

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा, दिनांक 17.02.2003, प्र. सं. 247 / 2003
अनवान राजमल बनाम बिजकोरी, स्टेट

उपस्थितिः–
श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 3 / 1, 3 / 2, 3 / 4 / 1, 3 / 4 / 2

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 22.12.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट 1 व 2 ग्राम डोबी बारानी के खाता सं0 197/184 के मु0 नं0 179 के किला नं. 10 से 22 व किला नं0 1, 2, 9, 10 की 8 बीघा बारानी कृषि भूमि जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण की भूमि दर्ज थी को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अर्जीदावा पेश किया। विचारण न्यायलय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी रेस्पोडेण्ट सं0 3 से 7 के नाम दर्ज है जो कभी भी रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 के कब्जा काश्त में नहीं रही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेण्ट का नाम खातेदारी दर्ज करने का कोई अधिकार प्राप्त नही था एवं अधीनस्थ न्यायालय को बिना किसी साक्ष्य के प्रतिवादी की खातेदारी भूमि का वादी को खातेदार घोषित करने का आदेश विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेण्ट ने अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह कतई साबित नही किया है कि सम्वत 2012 से पहले उक्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त हो, इसके अभाव में रेस्पोडेण्ट को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया एवं कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अपीलाण्ट को धारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया है। पत्रावली विधिक परीक्षण के हेतु जिला कलक्टर कार्यालय में चली गई थी इसलिए नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2011 पेज 508 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।
4. रेस्पोडेण्ट संख्या 3/1, 3/2, 3/4/1, 3/4/2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिकूल धारण के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा है। प्रकरण में विधि अनुसार निर्णय पारित किया जावे।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलाण्ट ने अपील में फार्म नं. 3 के साथ ग्राम डोबी बारानी की जमाबंदी संवत 2059 प्रस्तुत हुई है जिसमें प्रश्नगत भूमि मु. नं. 179 की किला नं. 19 से 22 की भूमि बिजकौर बेवा मेहचन्द, इन्द्रसिंह , महेन्द्रसिंह पि0

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

मेहरचन्द, रेशमा बेवा ईश्वर सिह, औम प्रकाश पुत्र ईश्वर सिंह की गैरखातेदारी भूमि दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि प्रतिवादीगण की गैरखातेदारी भूमि थी। गैरखातेदारी की भूमि किसी प्रकार से हस्तान्तरण योग्य नही है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 ने गैर खातेदारी भूमि के एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये हैं। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 2011 पेज 508 के अनुसार एडवर्स पजेशन के आधार पर किसी को खातेदार नहीं दिये जा सकते है। इस प्रकरण में भी प्रथमतः तो प्रश्नगत भूमि प्रतिवादीगण की गैर खातेदारी भूमि थी द्वितीय ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित हो कि प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेण्ट का कब्जा काश्त हो एवं तृतीय यह है कि गैर खातेदारी भूमि के एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये गये हैं जो विधि सम्मत नहीं हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.02.2003 निरस्त किये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 22.12.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/12/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील संख्याः– 332 / 2003
आरसीएमएस नं. :– 2003 / 00044
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार / राजस्व / तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
––अपीलार्थी

बनाम

4. राजमल
5. छोटुराम } पि0 आदराम जाति जाट निवासी डोबी तहसील भादरा।
6. बिजकोरी –फौत
   3 / 1 इन्द्र सिंह पुत्र
   3 / 2 महेन्द्र सिंह पुत्र } बिजकौरी बेवा मेहरचंद जाति जाट निवासी डोबी तहसील
   3 / 3 नारायणी पुत्री } भादरा जिला हनुमानगढ।
   3 / 4 ईश्वर सिंह पुत्र –फौत
   3 / 4 / 1 रेशमी पत्नी ईश्वर माता बिजकोरी बेवा मेहरचंद जाति जाट निवीस डोबी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
   3 / 4 / 2 ओमप्रकश पुत्र ईश्वर जाति जाट निवीस डोबी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
   3 / 4 / 3 कृष्णा पुत्री ईश्वर जाति जाट निवास डोबी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
   3 / 4 / 4 सन्तोष पुत्री ईश्वर जाति जाट निवासी डोबी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
   –– रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा, दिनांक 17.02.2003, प्र. सं. 247 / 2003
अनवान राजमल बनाम बिजकोरी, स्टेट

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी, श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 3 / 1, 3 / 2, 3 / 4 / 1, 3 / 4 / 2 की ओर से बहस समायत की जाकर अपील स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.02.2003 निरस्त किये जाते है। डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 22.12.22 को जारी की गई।

(करतार सिंह पूनियॉ) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़